संख्या-287/2026/1844/22-2-2024-17(665)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2026

विषय:-जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी प्रीती पत्नी श्री जयवीर सिंह, निवासी जनपद-कासगंज की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी प्रीती पत्नी श्री जयवीर सिंह, मझोला, थाना-पटियाली, जनपद-कासगंज की निवासिनी है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 26.05.2017 को गला दबाकर भतीजे दीपू उम्र 08 वर्ष की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-237/2017 में भा०द०वि० की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, कासगंज के आदेश दिनांक 16.03.2021 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 12.03.2024 तक अपरिहार 06 वर्ष, 09 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 05 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। महिला बन्दी की आयु दिनांक 12.03.2024 तक 31 वर्ष है।

3- सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती प्रीती पत्नी श्री जयवीर सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार महिला बन्दी की 31 वर्ष की आयु एवं महिला बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 12.03.2024 तक अपरिहार 06 वर्ष, 09 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 05 माह, 16 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं महिला बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (08 वर्ष के बच्चे की निर्मम हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी प्रीती (बन्दी संख्या-39/21) पत्नी श्री जयवीर सिंह, निवासी जनपद-कासगंज की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 287/2026/1844(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।
2- अधीक्षक, जिला कारागार कासगंज।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।